

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] No. 492] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्पुन 5, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/PHALGUNA 5, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2016

का.आ. 571(अ)-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

मनाली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उत्तरी अक्षांश 32º16'07" उत्तर और पूर्व रेखांश 77º08'11" पूर्व अक्षांश 32º14'03" उत्तर और रेखांश 77º11'03" पूर्व, दक्षिण अक्षांश 32º13'06" उत्तर और रेखांश 77º07'20" पूर्व, पश्चिमी अक्षांश 32º14'10" उत्तर और रेखांश 77º02'34" पूर्व में स्थित है और 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है;

और, वनस्पति तथा प्राणी इस अभयारण्य का अत्यधिक जैव महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में शंकु वृक्षों के अंतर्गत देवदार, फर, स्प्रूस और काल के वन हैं और चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों की किस्में हैं। उनमें प्रुनुस, एकर, जगलान,

943 GI/2016 (1)

बक्सस, रोडोडेन्ड्रन, सेल्टिस, बेतुला, उल्मस, एस्कुलस, एल्नस, माइरिका और भूमि के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत उपलब्ध अन्य प्रकीर्ण प्रजातियां हैं ;

और, क्षेत्र में प्राणियों के अंतर्गत तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, काला भालू, बंदर, लंगूर, मुंजक, मछली, सांप आदि हैं। इसके अतिरिक्त अभयारण्य में कई पक्षी जैसे लम्बी पुछ सहेली, मख्खीमार, सामान्य हुदहुद, गौर तोता, टुईयां तोता, काली चील, हिमालय ग्रिफान, सामान्य करौंटिया, गरुड़ आदि पाये जाते हैं।

और, मनाली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक** संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 4.00 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मनाली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार मनाली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 4.00 किलोमीटर तक विस्तार के साथ 15.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई गांव नहीं है। मनाली वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के साथ बिन्दुओं के जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ उपाबंध I में संलग्न हैं।
 - (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, सीमा ब्यौरों, अक्षांशों और देशान्तर के साथ **उपाबंध ॥** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन ;
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगरपालिक ;
 - (vi) राजस्व :
 - (vii) कृषि;
 - (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।
 - (9) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के भीतर अलग से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी |
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-
- (1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 21, 31, 35 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थातु:-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि :
- (iiii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं हैं; और
- (v) वर्षा जल संचय |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोत सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे रीति में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।
 - (ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय मनाली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरिक्षत क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या हिमालचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
 - (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाईयां -

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापना की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रर्1	तेषिद्ध क्रियाकलाप :
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए तथा विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाइयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्निर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए मुख्य कोयला और जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप- वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

9.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		 नियमित क्रियाकलाप
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी:
		पंरतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।
		(ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।
		(ग) एक किलोमिटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
		(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा।
12.	खाई वाली भूमि।	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है पुराने
		खाई के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं।
13.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	भूमिगत जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाइ ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके
		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों
		का पालन किया जाएगा ।
18.	प्रवर्जक चारागाह।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार
		विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों का विद्युत रोधन ।	भूमितगत केबलों का प्रोन्नयन। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से
		गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना
		के अधीन विहित समय सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से पृथक्कृत किया
		जाएगा ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	में बाड लगाना।	वन्यजीव के मुक्त संचरण को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिक
		संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की कटीली
		तार से उनकी संपत्तियों को नहीं घेरा जाएगा और कोई घेरा 1 मीटर
		से ऊंचा नहीं होगा । इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी
		विद्यमान घेरे को आंचलिक महायोजना में समय-सीमा के उपान्तरित
		किया जाएगा ।
23.	लोक अधिकार ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	लघु चारे/एसएफपी का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	कृषि प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्राकृतिक जल स्त्रोतों का वाणिज्यक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	उपयोग जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन	
	भी है	
27.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	1 से 10 से अधिक ढलानों वाली पहाड़ी पर और किसी नदी और
		प्राकृतिक नालों के किनारों से 100 मीटर तक आंचलिक महायोजना के
		अधीन अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया
		जाएगा
<u> </u>	l	

31.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और	
		सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय	
		माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर	
		कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।	
	संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
	और बागवानी प्रथाओं के साथ		
	पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली		
	पालन।		
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
	कारीगर आदि भी हैं।		
36.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।	

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) उपायुक्त, कुल्लू -अध्यक्ष

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि -सदस्य के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -

- (iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत -सदस्य विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -
- (iv) कार्यकारी इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, -सदस्य
- (v) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार -सदस्य
- (vi) वन संरक्षक (वन्यजीव-कुल्लू) -सदस्य
- (vii) प्रभागीय वन अधिकारी (कुल्लू) -सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन -

- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित और मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/186/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ चारों दिशाओं के भू-निर्देशांक

उत्तर: - मनाली वन्यजीव अभयारण्य के साथ क्रमश: देशांतर/अक्षांश पू 77º 06' 2.794" और उ 32º 16' 38.971" लगभग 1000 मीटर चौड़ाई के अंतर्गत 2/4 संचल शील, 2/3 शैनग शिल डी पी एफ के निकटस्थ विद्यमान है।


दक्षिण: - मनाली वन्यजीव अभयारण्य की विद्यमान सीमाओं के साथ क्रमश: देशांतर/अक्षांश पू 77º 08' 4.737" और उ 32º 12' 45.307" लगभग 500 मीटर चौड़ाई के अंतर्गत 2/7 किनयालघर डी पी एफ के साथ विद्यमान हैं।

पूर्व : - मनाली वन्यजीव अभयारण्य के साथ क्रमश: देशांतर/अक्षांश पू 77º 10' 10.369" और उ 32º 15'18.727" 100 मीटर चौड़ाई के अंतर्गत डी पी एफ 1/1 बाजुरनदी के साथ विद्यमान हैं।

पश्चिम : - विद्यमान मनाली वन्यजीव अभयारण्य के साथ क्रमश: देशांतर/अक्षांश पू 77° 03'30.312" और उ 32° 14' 5.858" लगभग 1000 मीटर चौड़ाई के अंतर्गत दोरनी थच के साथ धारा और मानक 3556 के निकटस्थ छूती हैं।

उपाबंध II

मनाली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के साथ



उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश A ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2016

S.O.571 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at exz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Manali Wildlife Sanctuary located in Kullu District, Himachal Pradesh and lying between North Latitude 32°16'07" N and Longitude 77°08'11" E, East Latitude 32°14'03" N and Longitude 77°11'03" E, South Latitude 32°13'06" N and Longitude 77°07'20" E, West Latitude 32°14'10" N and Longitude 77°02'34" E is spread over an area of 29 square kilometers;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The area has forests of, Deodar, Fir, Spruce and Kall among conifers and has a variety of broad leaved spp. Among them are Prunus, Acer, Juglans, Buxus, Rhododendron, Celtis, Betula, Ulmus, Aesculus, Alnus, Myrica and oter miscellaneous spp providing under storey;

AND WHEREAS, the main fauna of the sanctuary include, leopard, leopard cat, jungle cat, black bear, monkey, languor, barking deer, fish, snakes, etc. Besides this many birds like long tailed minivet, bird eater flycatcher, common hoopoe, ring rosed parakeet, slaty headed parakeet, black kite, Himalayan griffon, common kestrel, booted eagle are found in the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Manali Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area with an extent upto 4.00 kilometre around the boundary of Manali Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Manali Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 15.68 square kilometres with an extent upto 4.00 kilometre around the Manali Wildlife Sanctuary. There is no village in the Eco-sensitive Zone. The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Manali Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-I.
- (2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-II.
- **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
 - (2) The Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
 - (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;

- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and
- (x) Public Works Department,
- for integrating environmental and ecological considerations into it.
- (5) The Zonal Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The State Government of Himachal Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- **3. Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Ecosensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Manali Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided further that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.
 - (9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted.
- 4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited	d activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated	l activities
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Ecosensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guildlines.
11.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the

		activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be
		regulated as per Zonal Master Plan; (d) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Public rights.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small fodder/ MFP.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
27.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-

		based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
	Permitted	l activities
32.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture fisheries, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Himachal Pradesh, which shall comprise of the following namely:-

(i) Deputy Commissioner, Kullu - Chairman

(ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year

Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board

- Member

Member

- (iii) One representatives of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year
- Member

Member

(vi) Conservator of Forest (Wildlife-Kullu)

Senior Town Planner of the area

Member

(vii) Divisional Forest Officer (Kullu)

(iv)

(v)

Member-Secretary.

- **6. Terms of Reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 butare falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park incharge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro-forma appended at Annexure III.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/186/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Geo-coordinates along the boundary of Eco-sensitive Zone

North: - about 1000 m wide strip comprising 2/4 Sanchal Shil, 2/3 Shanag Shil DPF adjacent to the existing Manali Wildlife Sanctuary with Long/Lat E 77^0 06' 2.794" and N 32^0 16' 38.971" respectively.


South: - About 500 m wide strip comprising 2/7 Kaniyalghar DPF along with the existing boundaries of Manali Wildlife Sanctuary with Long/Lat E 77⁰ 08' 4.737" and N 32⁰ 12' 45.307" respectively.

East : - 100 m wide Strip along comprising DPF 1/1 Bajrundi along the existing Manali Wildlife Sanctuary with Long/Lat E 77^0 10' 10.369"and N 32^0 15'18.727" respectively.

West: - 1000 m. Wide approx strip comprising Dorni Thach along stream and touching benchmark 3556 adjacent to the existing Manali Wildlife Sanctuary with Long/Lat E 77^o 03'30.312" and N 32^o 14' 5.858" respectively.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MANALI WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): [Details may be attached as annexure];
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: [Details may be attached as separate annexure]
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006:[Details may be attached as separate annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.